निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 91/2018/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 15.07.2019

अनवान

1. श्री पेमा पिता चतरा जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——वादी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता लच्छु जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री रतनलाल पिता श्री लच्छु जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री रोशनलाल पिता श्री लच्छु जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्रीमति सोनी बेवा श्री लच्छु जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री नैना पिता मन्दरूप जी जाति सुथार आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री मांगु पिता मन्दरूप जी जाति सुथार आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्री गोपी पिता मन्दरूप जी जाति सुथार आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्री बाबुलाल पिता पेमा जी जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 01. श्री इन्द्रमल कंसारा वकील वादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की सामलाती भूमि ग्राम घाटी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ में स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 130/119 खसरा संख्या

हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.11.05 विस्वासी तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 17/57 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं वादी एवं प्रतिवादीगण का माफिक हिस्से मौके पर कब्जा कास्त हैं सामलाती खाते में दर्ज होने से मौके पर सीमा संबंधी विवाद रहता हैं एवं भूमि पर ऋण लेने लगान जमा कराने एवं अन्य राजकीय कार्यो में वादी को परेशानी का सामना करना पडता हैं। इसलिये वादी अपनी उक्त वर्णित भूमि कुलिया आराजीयात में माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करा अपना हिस्सा अलग से खातेदारी में दर्ज कराना चाहता हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कईबार बंटवाडा कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया अन्त में प्रतिवादीगण ने कहां कि अगर आपको बंटवाडा कराना चाहते कानूनी कार्यवाही करो जिसपर वादी को उक्त वाद के लिये विवश होना पडा। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि का माफिक दर्ज रेकार्ड हिस्से अनुसार कर राजस्व रेकार्ड में अलग – अलग खाते दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें एवं इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को सम्मन तामील हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार देवगढत्र को जवाब पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन जवाब पेश नहीं किया जिसपर प्रतिवादी संख्या 9 का बंद किया गया। वकील वादी की बहस सुनी। विद्वान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम घाटी पटवार हल्का आंजन तहसील देवगढ़ में स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 130/119 खसरा नम्बर 285 रकबा 2.17 बीद्या जिसमें वादी पेता पिता चतरा जी का 23/57 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 23/114 हिस्सा यानि कुलिया आराजीयात में वादी का 0.11.05 विस्वासी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 का भी 23/57 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.11.05 विस्वासी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5,6,7 का संयुक्त रूप से 17/57 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 17/57 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं और इसी हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार आपस में बंटवाडा हो अपने अपने हिस्सो पर काबिज हो कास्त कर रहे हैं लेकिन राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं होने से वादी को भूमि पर ऋण लेने लगान जमा कराने एवं अन्य राजकीय कार्यों में परेशानी होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि जो वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाते खाते की हैं का माफिक हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करा खाते भी पृथक – पृथक दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें एवं इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें।

हमने वादी के वादपत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया ग्राम घाटी की जमाबन्दी संख्या 2071 से 2074 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 संयुक्त खातेदार हैं। कोई भी खातेदार उसकी सुविधा हेतु भूमि का बंटवाडा करा उसका खाता पृथक से कायम करा सकता हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम घाटी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की सामलाती भूमि खाता नम्बर 130/119 के खसरा नम्बर 285 रकबा 2.17 बीद्या भूमि का माफिक हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें की निर्णय अनुसार बंटवाडा प्रसताव में रास्ते का अंकन किया जावें। वादी वादग्रस्त भूमि के कुलिया लगान की 5 गुणा राशि के नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प पेश करें। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्राप्त करने बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 07.08.2019 को पेश हो।

ह०/-

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द